



**झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद**  
**JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD**  
 T A Division Building (Ground Floor) HEC Campus, Dhanwa, Ranchi- 834004.  
Phone No:-8651- 2400852, 2400851, Fax No:- 2400850.

पत्रांक.....  
 प्रेषक,

तारीख, दिनांक.....

आर० के० सिन्हा,  
 सदस्य सचिव।

सेवा में,  
 परियोजना पदाधिकारी,  
 सर्वश्री गोविन्दपुर फेज II एवं स्टांग कॉलियरी ओपेन कास्ट,  
 सी०सी०एल, पी० स्टांग कॉलियरी,  
 जिला-बोकारो।

विषय: सर्वश्री गोविन्दपुर फेज-II एवं स्टांग कॉलियरी ओपेन कास्ट, सेंट्रल कोल फिल्ड्स लि०, पी० स्टांग कॉलियरी, जिला-बोकारो का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके उपरोक्त परियोजना के लिये लोक सुनवाई दिनांक 28.04.2010 (दिन सोमवार) को सुबह 11.00 बजे कठारा ऑफिसर क्लब, सी०सी०एल०, जिला बोकारो में निर्धारित की गई है। अतः अपने ई०आई०ए० प्रतियोग, ई०आई०ए० सारंश की दस दस प्रतियां हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में (टी०आ०आर० के अनुसार तैयार किया हुआ) निम्नांकित कार्यालयों/स्थानों पर एक सप्ताह के अन्दर तक नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक रूप से समर्थन करें। साथ ही ई०आई०ए० की इट्टे लॉपी एवं लागू कॉपी नागरिकों को अवलोकनाथ उपलब्ध करें।

1. उपायुक्त कार्यालय, बोकारो।
2. जिला उद्योग केंद्र, बोकारो।
3. जिला पर्वद, बोकारो।
4. मुख्यलय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, टी०ए० भवन, पोस्ट दुर्वा, राँची।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, ए०आई०ए०-1, सरदार पटेल नगर, हीरापुर, धनबाद।
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / मूवी हेवीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-3 चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर 751020
7. संबंधित संस्थान।

लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आई०ए० अधिसूचना संख्या टी०ए०आर० 1533 दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत होगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय लोग प्रशासित स्थल एवं अ-स-मास के लोगों को लोक सुनवाई की तिथि से एक सप्ताह पूर्व झुण्डुगी बनाकर जथवा स्वनि विस्तारक चक्र से जारी करे।

विश्वामय्य,  
 (आर० के० सिन्हा)  
 सदस्य सचिव

हस्ताक्षर.....

तारीख, दिनांक.....

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय पदाधिकारी, धनबाद को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि लोक सुनवाई की तिथि को लोक सुनवाई में भाग ले एवं इन्हें कि आवश्यकता दर्शन की अपने स्तर से करें।

(आर० के० सिन्हा)  
 सदस्य सचिव।